

**कम्यूनिटी सुपरविज़न के नियमों के लिए खास परिशिष्ट**  
**SPECIAL ADDENDUM TO TERMS OF COMMUNITY SUPERVISION**

\_\_\_\_\_ नियम A. इस आदेश के 180 दिनों के भीतर, टेक्सस कमिशन ऑन अल्कोहल एण्ड ड्रग अब्यूज, Department of Public Safety (डिपार्टमेंट ऑफपब्लिक सैफ्टी) और आपके कम्यूनिटी सुपरविज़न ऑफिसर द्वारा संयुक्त रूप से स्वीकृत एक शैक्षणिक कार्यक्रम, जिसे नशे की हालत में गाड़ी चलाने और/या गैरकानूनी पदार्थों में लिप्त लोगों के पुनर्वास के लिए बनाया गया है, जैसे, **TEXAS DWI EDUCATION PROGRAM (टेक्सस DWI (मादक पदार्थों का सेवन करके गाड़ी चलाना) एजुकेशन प्रोग्राम); ( ) TEXAS DWI INTERVENTION REPEAT OFFENDER PROGRAM (टेक्सस DWI इंटरवेंशन रिपीट ऑफेंडर प्रोग्राम); ( ) TEXAS DRUG OFFENDER EDUCATION PROGRAM (टेक्सस ड्रग ऑफेंडर एजुकेशन प्रोग्राम)** में हिस्सा लेना होगा और उसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा; और इसके खर्च को वहन करना होगा और अपने ऑफिसर को कार्यक्रम में नियमित रूप से शामिल होने का संतोषजनक लिखित साक्ष्य देना होगा।

\_\_\_\_\_ नियम B. प्रतिवादी को अपने खर्च पर Department of Public Safety (डिपार्टमेंट ऑफपब्लिक सैफ्टी) द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी से इस्तेमाल के लिए स्वीकृत कैमरा युक्त **इग्निशन इंटरलॉक** डिवाइस लेना, लगवाना और चालू रखना होगा। जैसा कि कोड ऑफक्रिमिनल प्रोसीजर के अनुच्छेद 42.12 की धारा 13 (i) में कहा गया है को छोड़कर प्रतिवादी जितने भी वाहन प्रयोग में लाते हैं, उन सभी वाहनों में उसे इस आदेश के 30 दिनों के अंदर इंटरलॉक उपकरण लगवाना होगा। प्रतिवादी को ऊपर बताए गए अल्कोहल इंटरलॉक उपकरण का \_\_\_\_\_ महीने का शुल्क और खर्च देना होगा। इसके अलावा, प्रतिवादी को इंटरलॉक पाने, उसे लगवाने, चालू रखने और उपयोग से संबंधित, जितने भी नियम व कानून हैं, सबका पालन करना होगा। प्रतिवादी इस बात से सहमत है Community Supervision Department (कम्यूनिटी सुपरविज़न डिपार्टमेंट) के अनुरोध पर वह उस इंटरलॉक उपकरण को दिखाएगा;

- प्रतिवादी के पास वाहन चलाने का वैध लाइसेंस न होने या उसके पास चालू हालत में मोटर वाहन न होने की स्थिति में, नियम H लागू करने की जरूरत होगी और यह उसी समयावधि के लिए लागू होगा जिसके लिए नियम B लागू है।

\_\_\_\_\_ नियम C. इस आदेश के 60 दिनों के अंदर प्रतिवादी को Texas Department of Public Safety (टेक्सस डिपार्टमेंट ऑफपब्लिक सैफ्टी) द्वारा जारी **रिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर्स लाइसेंस (प्रतिबंधित चालक का लाइसेंस)** होने का सबूत दिखाना होगा जो प्रतिवादी को ऐसी मोटर वाहन चलाने की इजाजत देता है जो डीप-लंग ब्रेथ एनालिसिस मेकैनिज़म (गहरी-फेफड़ों की सांस विश्लेषण तंत्र) से लैस होगा। अगर प्रतिवादी यहां दी गई समय सीमा के भीतर ऐसा नहीं कर पाता तो प्रतिवादी को अपना मौजूदा ड्राइवर लाइसेंस अधिकृत Community Supervision Officer (कम्यूनिटी सुपरविज़न ऑफिसर) के पास जमा करना होगा और प्रतिवादी की वाहन चलाने की आजादी उस समय तक के लिए छीन ली जाएगी, जब तक कि वह रिस्ट्रिक्टेड ड्राइवर लाइसेंस पा नहीं लेता।

\_\_\_\_\_ नियम D. प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के निर्देशानुसार \_\_\_\_\_ महीनों के लिए हर हफ्ते \_\_\_\_\_ Alcoholics Anonymous (अल्कोहॉलिक्स अनॉनिमस)/ NA (नारकोटिक्स अनॉनिमस) /CA (कोकेन अनॉनिमस) मीटिंग में हिस्सा लेना होगा और अपनी हर ऑफिस विज़िट पर सुपरवाइज़िंग अधिकारी को इसका सबूत देना होगा;

\_\_\_\_\_ नियम E. Fort Bend Community Corrections Officer (फोर्ट बेंड कम्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर) द्वारा स्वीकृत एजेंसी में इस आदेश के 180 दिनों के भीतर प्रतिभागी को "Victim Impact Panel (मादक पदार्थों का सेवन करने वालों से पीड़ितों के लिए समुदाय आधारित बैठक)" में हिस्सा लेना और उसे पूरा करना होगा और इसके लिए जरूरी जो भी शुल्क होगा वह चुकाना होगा;

\_\_\_\_\_ नियम F. इस आदेश के 90 दिनों के भीतर प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के जरिए "Prison Deterrence Education Program (प्रिजन डेटरेंस एजुकेशन प्रोग्राम)" में भाग लेना होगा, भागीदारी करनी होगी और इसे सफलतापूर्वक पूरा करना होगा;

\_\_\_\_\_ नियम G. इस आदेश के 60 दिनों के भीतर प्रतिवादी को Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department के निर्देश पर निम्नलिखित कार्यक्रम/कार्यक्रमों में शामिल होना होगा, भागीदारी करनी होगी और सफलतापूर्वक इसे पूरा करना होगा;

- घरेलू हिंसा** कार्यक्रम \_\_\_\_\_ दिनों के भीतर पूरा करें
- क्रोध प्रबंधन** कार्यक्रम \_\_\_\_\_ दिनों के भीतर पूरा करें

□ चोरी-रोधक (रेंट्री थैफ्ट) कार्यक्रम \_\_\_\_\_ दिनों के भीतर पूरा करें

\_\_\_\_\_ नियम H. इस आदेश के पारित होने के 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी को फोर्ट बेंड कम्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनी का "इन-होम इंटरलॉक डिवाइस"

अपने घर पर \_\_\_\_\_ दिन की अवधि के लिए लगाना होगा और यह अवधि तारीख \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को खत्म होगी और डिवाइस को लगवाने का खर्च वहन करना होगा; प्रतिवादी को ऊपर लिखित कार्यक्रम के सभी नियम और शर्तों का पालन करना होगा

\_\_\_\_\_ नियम I. प्रतिवादी निम्न पते \_\_\_\_\_ पर Fort Bend County Community Supervision and Corrections Department की देखरेख में इलेक्ट्रॉनिक/ सैटेलाइट की निगरानी में अपने घर के अंदर ही रहेगा जिसकी शुरुआत \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन से होगी और निम्न परिस्थितियों को छोड़कर वह पूरे समय घर के अंदर ही रहेगा, अर्थात: (1) कम्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर की अनुमति से नौकरी या काउंसलिंग के उद्देश्य से या (2) तय व्यवस्था के मुताबिक कम्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर के पास हाजिरी देने के उद्देश्य से; और इसी के साथ प्रतिवादी इन सब पर जो खर्च आएगा या जो रकम जमा करने की जरूरत होगी, यहां उल्लेखित डिपार्टमेंट को प्रतिवादी, उसका भुगतान करेगा;

\_\_\_\_\_ नियम J. प्रतिवादी को \_\_\_\_\_ a.m. से \_\_\_\_\_ p.m. तक होम कर्फ्यू का पालन करना होगा। कामकाज निपटाने और अपने कम्यूनिटी करेक्शंस ऑफिसर को पहले से सबूत पेश करने पर इसमें छूट मिल सकती है।

मैं, यानी प्रतिवादी स्वीकार करता/करती हूँ कि मुझे प्रोबेशन की शर्तों के खास परिशिष्ट की एक प्रति मिल गई है, मेरे एटॉर्नी ने सारे नियमों को मुझे समझा दिया है और मैं प्रोबेशन के सारे नियमों को समझ चुका/चुकी हूँ। \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ दिन को हस्ताक्षरित

प्रतिवादी के हस्ताक्षर

तारीख

प्रतिवादी के एटॉर्नी

तारीख

पीठासीन न्यायाधीश

तारीख